# वीसीएफ-एससी के तहत अंबेडकर सोशल इनोवेशन इनक्यूबेशन मिशन (ASIIM)

सत्यमेव जयते

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय**
**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**
**भारत सरकार**

विवरण के लिए कृपया नीचे दिए गए पते पर संपर्क करें:
**निवेश प्रबंधक:**

IFCI VENTURE


## आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लि.

16वां तल, आईएफसीआई टावर, 61, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली–110019

**टेलीफोन:** (+91) -(11)- 41732507/90/81/82/76/09/67/70/18, 011-26453359/46/19/43, QSDl: (+91) (11) 26453348

**ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक** - https://www.vcfsc.in/asiim/Venture-Capital-Fund-for-Scheduled-Castes.aspx

**वेबसाईट:** https://www.vcfsc.in/ (Select- ASIIM) **ईमेल:** asiim@ifciventure.com



**डिसक्लेमर:** यह हैंडआउट केवल सूचना के प्रयोजन से तैयार किया गया है और यह निधि के अंतर्गत प्रस्तावों की संस्वीकृति और स्वीकार्यता का कोई भाग नहीं है। आईएफसीआई उद्यम इसमें निहित सूचना की पूर्णता अथवा सटीकता नहीं दर्शाता है। इस हैंडआउट मे दी गई सूचना विशवसनीय मानी गई है और इसे नेकनीयती से बिना किसी पक्षकार के प्रति विधिक बाध्यता के प्रस्तुत किया गया है। आईएफसीआई उद्यम इस नोट में दी गई सूचना के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली किसी विधिक बाध्यता अथवा उत्तरदायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। विचार, अनुमान और लक्ष्य परिवर्तन के अध्यधीन हैं।

## परिचय

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी (वीसीएफ–एससी) नामक एक योजना जनवरी, 2015 को आरंभ की गई जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित कंपनियों के लिए सस्ती दरों पर वित्त उपलब्ध कराना और उद्यमशीलता का प्रवर्तन करना है।

अनुसूचित जाति के छात्रों/अनुसूचित जाति के दिव्यांग युवाओं के बीच उद्यमशीलता और नवाचार के प्रवर्तन हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 30 सितबंर, 2020 को "वीसीएफ–एससी के तहत अंबेडकर सोशल इनोवेशन इनक्यूबेशन मिशन (एएसआईआईएम)" नामक एक पहल की है।

## एएसआईआईएम के उद्देश्यों का सार

इस पहल का उद्देश्य उन अनुसूचित जातियों के उद्यमियों को संकेंद्रित सहायता प्रदान करना है जो शैक्षिक परिसरों अथवा प्रौद्योगिकी व्यापार इनक्यूबेटरों में नवाचारी और प्रौद्योगिकी उन्मुख व्यापरिक क्षेत्रों पर कार्य कर रहे हैं ताकि उन्हें सफल वाणिज्यिक उद्यम स्थापित करने में सहायता प्राप्त हो।

## एएसआईआईएम की मुख्य विशेषताएं

- पर्याप्त इक्विटी सहायता प्रदान करने माध्यम से अनुसूचित जाति के युवाओं के स्टार्टअप आईडिया को सहायता प्रदान करना, उसका प्रवर्तन करना और उसका हस्त संचालन करना जब तक कि वे वाणिज्यिक अवस्था तक नहीं पहुंचते।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गठित टैक्नॉल्जी बिजनेस इनक्यूबेटरों के साथ सहक्रियात्मक कार्य के माध्यम से 2024 तक नवाचारी कार्यक्षेत्रों (1,000) को सहायता प्रदान करना।
- संबंधित टीबीआई द्वारा प्रगति के संतोषजनक मूल्यांकन के अध्यधीन अनुसूचित जाति के युवाओं की पात्र पहलें अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित कंपनियों में इक्विटी के तौर पर तीन वर्ष की अवधि के दौरान 30 लाख रुपये तक का वित्तपोषण प्राप्त करने की पात्र होंगी।

## पात्रता मानदंड

एएसआईआईएम पहल के तहत सहायता प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:

- **ऐसे युवा जिनकी पहचान टीबीआई द्वारा की गई है। अटल इन्क्यूबेशन सेंटर्स (एआईसी), टेक्नोलॉजी/इंडस्ट्रियल पार्क्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) या डीएसटी के अलावा और भारत सरकार द्वारा समर्थित अन्य इनक्यूबेशन सेंटरों द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है।**
- **प्रतिष्ठित निजी टीबीआई द्वारा इन्क्यूबेशन के लिए चिन्हित युवा।**
- **शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे स्मार्ट इंडिया हैकथॉन या स्मार्ट इंडिया हार्डवेयर हैकथॉन के तहत जिन छात्रों को पुरस्कृत किया गया है।**
- **सार्वजनिक, निजी क्षेत्र में टीबीआई में चिन्हित समाज के सामाजिक-आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले अभिनव विचार।**
- **सीएसआर निधियों के माध्यम से कॉरपोरेट्स द्वारा नामांकित और समर्थित स्टार्ट-अप।**

## चयन प्रक्रिया

"एएसआईआईएम" पहल के तहत चयन प्रक्रिया निम्नानुसार है:

- टीबीआई द्वारा चुने गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के दिव्यांग युवाओं द्वारा प्रस्तुत स्टार्टअप क्षेत्रों का चयन स्वतः ही इनक्यूबेशन के लिए हो जाएगा।
- विभिन्न अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के दिव्यांग स्टार्टअप से प्राप्त अन्य आवेदन/प्रस्ताव निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार लिए जाएंगे।

## इक्विटी सहायता के लिए प्रावधान

- टीबीआई में अनुसूचित जाति के छात्रों से प्राप्त निर्धारित नवाचारी कार्यक्षेत्रों को टीबीआई आवासीय लागत अकोमोदेशन लागत, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फैलोशिप, ट्रैवल और मार्केटिंग, आईपी फाईलिंग, टूल रूम व्यय, सहकर्मी इत्यादि हेतु इक्विटी सहायता प्रदान की जाएगी।
- 3 वर्ष की इनक्यूबेशन अवधि के दौरान उद्यमियों से कंपनी बनाने के लिए अपेक्षित व्यय को छोड़कर किसी वित्तीय अंशदान की मांग नहीं की जाएगी और कंपनी बनाने के व्यय का वहन उद्यमियों अथवा टीबीआई द्वारा किया जाएगा। इन पहलों के लिए वित्तीय सहायता इन युवा अनुसूचित जाति उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित कंपनियों को प्रदान की जाएगी।